राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 20/09/2022 को संपन्न 424वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 422वीं एवं 423वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/09/2022 एवं 08/09/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 422वीं एवं 423वीं बैठक क्रमशः दिनांक 07/09/2022 एवं 08/09/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेग स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री रामानुज चंद्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासंमुद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2035)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69805/ 2021, दिनांक 20/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील वं जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 212, कुल क्षेत्रफल–0.75 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,378.75 टन (1,751.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वेदप्रकाश चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 212, कुल क्षेत्रफल – 0.75 हेक्टेयर, क्षमता – 1,751.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 31/08/2021 अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	30
2018	456

2019	330
2020	302

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बड़गांव का दिनांक 02/08/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1272/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 14/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.85 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1310/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 31/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री रामानुज चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/09/2011 से 28/09/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/09/2021 से 28/09/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्रीमती अर्चना चन्द्राकर, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/1131 महासमुंद, दिनांक 16/03/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 20 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 540 मीटर, स्कूल ग्राम–बरबसपुर 960 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 9.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15.3 कि.मी. दूर है। नाला 210 मीटर, महानदी 350 मीटर एवं तालाब 560 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,32,480 टन, माईनेबल रिजर्व 58,080 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 43,560 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,31,362 टन एवं माईनेबल रिजर्व 56,962 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,028 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,328 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	योजना अवधि के 4 वर्ष छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में शामिल होने से पूर्व ही उत्खनन पूर्ण किया जा चुका है।	षष्टम	3,858.75
द्वितीय		सप्तम	3,990
तृतीय		अष्ठम	4,007.5
चतुर्थ		नवम	4,378.75
पंचम	3,787.5	दशम	4,483.75

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.99 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 606 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 456 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के

दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 39.85 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.75 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेगी) क्वारी (प्रो.– श्री दुष्यंत कुमार साहू), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2036)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77149/ 2022, दिनांक 21/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1338, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,700 टन (1,080 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दुष्यंत कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1338, कुल क्षेत्रफल – 2.1 एकड़ (0.85 हेक्टेयर), क्षमता – 2,700 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/323 रायपुर, दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	43
2018	949

2019	1,055
2020	595
2021	696

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 09/10/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 13/10/2016 का घास मद से खनिज मद में परिवर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन पृ. क्रमांक 502–2/ख.लि./तीन–6/उ.प. रायपुर, दिनांक 10/07/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1923/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.48 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1923/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दुष्यंत साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 03/12/2004 से 02/12/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षो अर्थात् दिनांक 03/12/2014 से 02/12/2034 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–निसदा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 कि.मी. दूर है। नहर 135 मीटर, एनीकट 490 मीटर एवं महानदी 480 मीटर की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,00,455 टन, माईनेबल रिजर्व 44,452 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 33,339 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,074 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,606.25	षष्टम	2,925.00
द्वितीय	2,643.75	सप्तम	2,943.75
तृतीय	2,662.50	अष्ठम	2,962.50
चर्तुथ	2,812.50	नवम	2,981.25
पंचम	2,850.00	दशम	3,000.00

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 750 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 550 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,074 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,360 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1923/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 08/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.48 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) का रकबा 0.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

viii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2043)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 77245/ 2022, दिनांक 25/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 79/1, 79/2, 93/1, 90/3, 76, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट ऑफ 55, 56, 59/1 एवं 59/2, कुल क्षेत्रफल – 16.37 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कोल वॉशरी क्षमता–2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 25 करोड़ होगी।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स आईएनडी टेक हाउस कन्सल्ट, दिल्ली की ओर से श्री जे.के.मोईत्रा, ई.आई.ए. को–आर्डिनेटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदित प्रकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों में खसरा एवं रकबा तथा इसके पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के खसरा एवं रकबा में भिन्नता है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति कें समक्ष फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी. एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स ओम स्पंज, ग्राम–मुनरेठी, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2044)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 274770/ 2022, दिनांक 25/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–मुनरेठी, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 140/1(पार्ट), 115/1, 115/2, 136/6 एवं 139/12 कुल क्षेत्रफल – 5.09 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् रि–रोल्ड प्रोडक्टस थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,600 टन प्रतिवर्ष, डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता –30,000 टन प्रतिवर्ष से परिवर्तन कर (1 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता –30,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 4 मेगावॉट तथा बायोमास आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट क्षमता–45,000 नग प्रतिदिन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 64.62 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दयानंद गोयल, सी.ई.ओ. एवं श्री बापिन मोहन्टी, जरनल मेनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – इस उद्योग को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 29/07/2005 को डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु संचालन सम्मति जारी की गई।

3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 28/02/2022 को रि–रोल्ड प्रोडक्टस (थ्रू–इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित पॉवर प्लांट– 4 मेगावॉट, बॉयोमास आधारित पॉवर प्लांट– 8 मेगावॉट एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट – 30,000 नग प्रतिदिन हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से परिवर्तन कर डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (1 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सरक्यूलर दिनांक 21/11/2006 का लेख करते हुये पूर्व से संचालित होने के कारण पर्यावरण से मुक्त होना बताया गया है।

   उक्त के संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सरक्यूलर दिनांक 21/11/2006 के अनुसार " Such projects for which NOCs issued before 14th September, 2006 will not required to take Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006." का उल्लेख है। इसका तात्पर्य यह है कि 14th September, 2006 के पूर्व स्थापित इकाई में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उस परियोजना ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इस परियोजना में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (2 गुणा 50 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से परिवर्तन कर डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) (1 गुणा 100 टन प्रतिदिन) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष किया जाना है, जो कि कंफिग्रेशन में परिवर्तन (Change in configuration) के श्रेणी का है (यह स्पष्ट है कि पूर्व में जारी स्थापित इकाई में परिवर्तन किया जा रहा है)। अतः वर्तमान में स्थापित इकाई में स्पंज आयरन किल्न में परिवर्तन किये जाने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई. आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् स्पंज आयरन (प्राथमिक धातुकर्म उद्योग) क्षमता 200 टन पी डी से कम होने के कारण बी–'1' श्रेणी के अंतर्गत आता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स कैलाश कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 43 एवं 46, ग्राम–सांकरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–2, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2040)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 273722/ 2022, दिनांक 23/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सांकरा, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–2, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 43 एवं 46, कुल क्षेत्रफल – 4.051 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट्स) – 25,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल (रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स) – 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 17.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार गुप्ता, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा एम.एस. इंगाट्स क्षमता – 25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 06/03/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–सांकरा 1.3 कि.मी. एवं शहर रायपुर 11.05 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन माढ़र 7.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.05 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स कैलाश कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है। उक्त भूमि सीएसआईडीसी से लीज में प्राप्त की गई है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Particular	Area in sqm. (Existing)	Area After Proposed Expansion sqm.	Area in %
1.	Induction Furnace Area	1,640	2,460	15
2.	Rolling Mill Area	Nil	1,475.46	9
3.	Finished Good Area	492.73	737.73	4.5
4.	Raw Material Yard	544.7	819.7	5
5.	Parking Area	500	655.76	4
6.	Road Area	786.91	786.91	4.8
7.	Green Belt Area	4,590	6,560	40.01
8.	Area for future expansion	7,839.66	2,898.44	17.69
Total		**16,394**	**16,394**	**100**

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Particulars	Existing Capacity (in TPA)	After Expansion Capacity (in TPA)
Unit	Induction Furnace (2 x 8 TPH)	Induction Furnace with CCM & Rolling Mill (2 x 8 TPH + 1 x 8 TPH)
Production	Ingots - 25,000 TPA	Rerolled Product (Hot Charge) Billets - 59,900 TPA
Working Hour	12	15

6. **रॉ–मटेरियल :–**

S. No.	Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Sponge Iron	24,075	48,500	Open Market	By Road
2.	Scrap	7,383	15,000		
3.	Alloys	340	660		
Total		**31,798**	**64,160**		

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना के अतंर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना

प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस से इंगाट्स का उत्पादन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना हेतु हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल की स्थापना उपरांत रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

S. No.	Waste	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Quantity (TPA)	Method of Disposal
1.	Slag	1,200	2,450	Sold to Slag Processing Unit
2.	Used Oil	100	180	Sold to Authorized Vendors
3.	Kitchen waste	4.5 kg/day	10 kg/day	Bio Composting

समिति का मत है कि प्रस्तावित रोलिंग मिल से जनित होने वाले मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर जल प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 32 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। डिसईन्फेक्शन हेतु हाईपोक्लोराईड का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 9,052 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर एवं गहराई 2.5 मीटर) क्षमता का निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर एवं गहराई 2.5 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत खपत किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत खपत होगा। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.व्ही.ए. एवं 1 नग 125 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु क्षेत्रफल 4,590 वर्गमीटर क्षेत्र में 690 नग वृक्षारोपण परिसर के चारों तरफ किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 6,560 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में 950 नग वृक्षारोपण परिसर के चारों तरफ किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वर्तमान में हरित पट्टिका 5 मीटर चौड़ी नहीं साथ ही रोपित 690 नग वृक्षों के प्रजाति का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पाम, बोगेनविलिया एवं गुलमोहर जैसी प्रजातियां मान्य नहीं है। करंज, आम एवं जामुन जैसी लम्बी उम्र की प्रजातियां रोपित किया जाना आवश्यक है।

12. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इण्डक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषको के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 9,124 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 28 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 8,145 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, (2)

उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1750	1%	17.50	Following activities at nearby proposed site & Govt Primary School **Village-Sondra**	
			Pavitra Van Nirman at **Village-Siltara**	8.70
			Rain Water Harvesting System in schools	5.75
			Drinking Water Facility with 3 year AMC in schools	1.50
			Running Water Facilities in schools	1.50
			Plantation in schools	1.30
			Total	**18.75**

14. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत सिलतरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान, सुपर ग्लोबल से श्री बजरंगबली इंगट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के सामने ओपन एरिया 2 एकड़ में वृक्षारोपण तथा वंदना ग्लोबल चौक में निःशुल्क पेयजल व्यवस्था कराये जाने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

3. प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनित स्लज के अपवहन हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. रोलिंग मिल से जनित होने वाले मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग की मात्रा एवं अपवहन व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. उद्योग के विभिन्न इकाईयों (इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम, एस.टी.पी., रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, रॉ–मटेरियल यार्ड), पार्किंग एरिया, रोड एरिया, 40.01 प्रतिशत वृक्षारोपण, इत्यादि को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए। वर्तमान एवं प्रस्तावित ले–आउट को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

6. रोपित 690 नग वृक्षों के प्रजाति का विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कुल क्षेत्रफल का 40.01 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। पाम, बोगेनविलिया और गुलमोहर जैसी प्रजातियाँ मान्य नहीं है। लम्बी आयु की वृक्ष प्रजातियों का चयन कर रोपण किया जाए।

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

8. वर्तमान में कितने नग वृक्ष, कौन–कौन से प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया है तथा प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कितने नग वृक्ष, कौन–कौन से प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाना है, इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स लाईम स्टोन (फ्लेग स्टोन) क्वारी (प्रो.– श्री झालाराम चन्द्राकर), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2041)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69793/ 2021, दिनांक 23/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–746.25 टन (298.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री झालाराम चन्द्राकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 311, कुल क्षेत्रफल – 0.4 हेक्टेयर, क्षमता 298.5 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–
   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."
   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/02/2023 तक वैध होगी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1150/क/खलि/न.क्रं./2021 महासमुंद, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	20
2018	592
2019	79
2020	80
दिनांक 01/01/2021 से 30/09/2021 तक	640
दिनांक 01/10/2021 से 31/03/2022 तक	700

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 14/04/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1786/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 03/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1253/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री झालाराम चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/1998 से 04/10/2008 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/2008 से 04/10/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्री राजेन्द्र चन्द्राकर, ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/6183 महासमुंद, दिनांक 31/12/2015 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरबसपुर 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–बरबसपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.95 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.15 कि.मी. दूर है। महानदी 560 मीटर, नाला 170 मीटर, तालाब 830 मीटर एवं नहर 490 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 57,490 टन, माईनेबल रिजर्व 19,425 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 14,568 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 55,379 टन एवं माईनेबल रिजर्व 17,314 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,132 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट

मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	562.5	षष्टम	783.75
द्वितीय	618.75	सप्तम	825
तृतीय	656.25	अष्ठम	862.5
चर्तुथ	693.75	नवम	907.5
पंचम	746.25	दशम	962.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.55 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 426 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 326 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,132 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 840 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर, 643 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर एवं 649 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है।. शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम–घोड़ारी, बरबसपुर एवं मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद क्षेत्र में 95 फर्शी पत्थर खदानें,

कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। ग्राम–घोड़ारी के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में ग्राम–बरबसपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदानें, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में ग्राम–घोड़ारी एवं मुढ़ेना क्षेत्र में 25 खदानें, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 660 मीटर है। चूंकि ई.आई.ए. स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक–दूसरे में ओव्हर लेप हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पत्थर खदानों को एक क्लस्टर मानते हुये फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्लस्टरों से 10–10 कि.मी. के क्षेत्र को ई.आई.ए. मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2021 से 31/12/2021 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सूचना भी दी गई थी।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खलि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदानें, क्षेत्रफल 40.2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) का रकबा 0.4 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बरबसपुर) को मिलाकर कुल रकबा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

v. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

vi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

vii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit layout map with KML file and remedial measure plan earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details (DPR) of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स रानीजरौद लाईम स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती आनंदी शर्मा), ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1918)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/71310/ 2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रानीजरौद, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, खसरा क्रमांक–607, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610/1 एवं 610/2, कुल क्षेत्रफल–1.219 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–28,425 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण हेतु ऑनलाईन ऑटो टी.ओ.आर. (Auto ToR) जारी हो गया है। साथ ही क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/03/2022 से 31/05/2022 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 14/03/2022 को सूचना भी दी गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन जारी ऑटो टी.ओ. आर. (Auto ToR) को मान्य करते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा किये जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि ऑनलाईन में ऑटो टी.ओ.आर. जारी हो चूका है, चूंकि समिति द्वारा प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण हेतु विचार नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श**

उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स चंदागढ़ ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री गोविंद अग्रवाल), ग्राम–चंदागढ़, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2038)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 273849/2022, दिनांक 23/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–चंदागढ़, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 40, 41/3, 41/4, 43/1क, 43/1ख, 43/2 एवं 44/2, कुल क्षेत्रफल–2.325 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स सिरिमकेला ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री कपिल देव साय), ग्राम–सिरिमकेला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2039)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 273845/2022, दिनांक 23/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–सिरिमकेला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 422/1, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कपिल देव साय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिरिमकेला का दिनांक 04/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्र), जिला–रायगढ़ के पृ. क्रमांक 27ए/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 04/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/538/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 23/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/538/खनि.शा. /2022 जशपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री कपिल देव साय के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 316/खनि.शा./2021 जशपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2021/1248 जशपुर, दिनांक 22/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरिमकेला 830 मीटर, स्कूल ग्राम–सिरिमकेला 1 कि.मी. एवं अस्पताल दुलदुला 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21 कि.मी. दूर है। सिरी नदी 200 मीटर एवं मौसमी नाला 52 मीटर दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 22,399 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 20,159 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 587 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 22.4 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 19 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	षष्टम	1,000
द्वितीय	1,000	सप्तम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,96,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,84,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,91,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 7,56,800 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र एवं श्रमिकों के विश्राम के लिए कमरा आदि हेतु 500 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at Nearby Goverment Middle School, **Village- Sirimkela**	
			Potable Drinking Water Facility	0.159
			Plantation	0.156
			Total	**0.315**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. एक लाख ईट निर्माण हेतु 19 टन कोयला की आवश्यकता होने एवं उससे जनित ऐश का उपयोग ईट निर्माण तथा रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव एवं रैम्प निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर संरक्षित रखने हेतु, अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. लीज क्षेत्र से निकटतम अन्य स्थापित चिमनी (ईट भट्ठा) 1.3 कि.मी. दूर होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र 2.2 कि.मी. दूर होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईट निर्माण में 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में) वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/538/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 23/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक

है। आवेदित खदान (ग्राम–सिरिमकेला) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स सिरिमकेला ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री कपिल देव साय) को ग्राम–सिरिमकेला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 422/1 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र (Circular) दिनांक 06/05/2022 – "Mechanism for handling ToR applications for issuing Standard Terms of Reference (ToRs) or referring to EAC / SEAC through PARIVESH portal - reg." के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र (Circular) दिनांक 06/05/2022 पर प्राधिकरण की दिनांक 01/09/2022 को संपन्न 127वीं बैठक में उक्त परिपत्र (Circular) का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परिपत्र (Circular) के पालन हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ को अवगत कराया जावेगा।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

समिति द्वारा अवलोकन कर निरस्त/डि–लिस्ट किया गया।

2. मेसर्स मानपुर डोलोमाईट स्टोन (लो ग्रेड) क्वारी माईन (प्रो.– श्री भास्कर कुमार सिंह), ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1758)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 285660/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मानपुर, तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 79, 129/11 एवं 129/30, कुल क्षेत्रफल–2.409 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 53,802.78 टन (20,693.38 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 01/09/2022 को संपन्न 127वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 में किये गये अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स सिरिमकेला ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री कपिल देव साय) को खसरा क्रमांक 422/1, ग्राम–सिरिमकेला, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी जिग–जैग किल्न आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। यदि जिग–जैग किल्न की स्थापना नहीं किये जाने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति अमान्य होगी। जिग–जैग किल्न का ड्राईंग, डिजाईन एवं प्लान फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

9. ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित किया जाए।
10. ईंट भट्टे में केवल पाईप्ड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृशि का उयपोग किया जाए। पेट कोक/टायरों/प्लॉस्टिक/खतरनाक अपषिश्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
12. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण एवं रोड के संधारण हेतु उपयोग किया जाए।
13. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय–समय पर पानी का छिड़काव किया जावें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फ्लाई ऐश उड़कर आस–पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस–पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
17. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
15	2%	0.30	Following activities at Nearby Goverment Middle School, **Village- Sirimkela**	
			Potable Drinking Water Facility	0.159
			Plantation	0.156
			Total	**0.315**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग पौधे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही

वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

28. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

29. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

30. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

31. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

32. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

33. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

34. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

36. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

37. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

38. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

40. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

41. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.